

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०: राज/047/2025

निम्नलिखित अवधि विस्तार/स्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होने हेतु जारी किया जाता है :-

क्र.सं.	चिकित्सक का नाम	पद/स्थान	वर्तमान पद/स्थान	अभ्युक्ति
1	डॉ० प्रशान्त कुमार जायसवाल	सीएमपी(जीडीएमओ)/सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल / पटना (प्रथम टर्म समाप्ति की तिथि – 05.02.2025)	सीएमपी(जीडीएमओ)/सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल/पटना	पूर्णकालिक संविदा के आधार पर द्वितीय टर्म अर्थात् प्रथम अवधि विस्तार (1 st extension) पर अगले एक वर्ष के लिए तैनात किये जाते हैं।
2	डॉ० अजीजुर रहमान	सीएमपी(जीडीएमओ)/सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल /पटना (प्रथम टर्म समाप्ति की तिथि – 05.02.2025)	सीएमपी(जीडीएमओ)/सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल/पटना	पूर्णकालिक संविदा के आधार पर द्वितीय टर्म अर्थात् प्रथम अवधि विस्तार (1 st extension) पर अगले एक वर्ष के लिए तैनात किये जाते हैं।

उपरोक्त संविदा का अवधि विस्तार प्रविस/पूमरे/हाजीपुर के वित्तिय सहमति एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

- (1) पूर्णकालिक संविदा के आधार पर तैनाती अगले टर्म अर्थात् अगले एक वर्ष तक के लिए उपरोक्त इंगित स्थान पर योगदान देने की तिथि से अथवा नियमित चिकित्सक की उपलब्धता, इनमे से जो पहले हो मान्य होगा।
- (2) पदभार ग्रहण रिपोर्ट समय से उपमुकाधि/राज/पूमरे/हाजीपुर एवं संबंधित बिल अनुभाग को भेजें।
- (3) रेल परिषद द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। रेलवे बोर्ड के पत्र सं०- E(GR)II/9/16 दिनांक- 14.05.99 के अनुपालन में दो अवधि के बीच में कम से कम एक सप्ताह का break होना चाहिए।
- (4) उपरोक्त चिकित्सकों के तैनाती से पूर्व करारनामा, संबंधित यूनिट के चिकित्सा निदेशक द्वारा किये जाने संबंधी दस्तावेज की प्रति इस कार्यालय में अद्यतन एवं रिकार्ड हेतु भेजी जाए।
- (5) उपरोक्त चिकित्सकों का पारिश्रमिक भुगतान आवंटित निधि से सुनिश्चित किया जाए साथ ही आयकर के मद में आवश्यक कटौती सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- (6) रेलवे आवास से संबंधित मामले का निष्पादन नियमानुसार किया जाए।
- (7) सीएमपी को पारिश्रमिक भुगतान के समय उनके कार्य के अवधि को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए।

Signed by उपमुख्य कार्मिक अधिकारी/राज०
Jai Prakash Singh कृते महाप्रबंधक (कार्मिक) / हाजीपुर

Date: 14-02-2025 13:57:29

सं० :- ECR-HQ0PERS(Gaz)/62/2023

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव को महाप्रबंधक महोदय के सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर।
3. प्रविस/पूमरे/हाजीपुर।
4. प्रमुचिनि/पूमरे/हाजीपुर।
5. चिकित्सा निदेशक/केन्द्रीय चिकित्सालय/पटना ।
6. सकाधि/बिल/पूमरे/हाजीपुर।
7. सकाधि/एमपीपी/पूमरे/हाजीपुर- नेट पर अपलोड करने हेतु।